

दूसरी अनुसूची
THE SECOND SCHEDULE
नियम 3 (एच) देखें/[See Rule 3 (h)]
फार्म 1/FORM 1
(नियम 14 देखें)/(See Rule 14)

अवकाश अथवा अवकाश बढ़ाने हेतु आवेदन
APPLICATION FOR LEAVE OR EXTENSION OF LEAVE

1. प्रार्थी का नाम
Name of applicant
 2. पद
Post held
 3. विभाग, कार्यालय और अनुभाग
Department, Office and Section
 4. वेतन
Pay
 5. वर्तमान पद पर मिलने वाला मकान किराया और
अन्य प्रतिकर भत्ते
House rent and other compensatory allowances
drawn in the present post
 6. मांगे गए अवकाश की किस्म, अवधि और उसके शुरू
होने की तारीख
Nature and period of leave applied for and date for
and which required
 7. रविवार और अवकाश के दिन, यदि कोई हो जिन्हें
अवकाश से पहले/बाद में जोड़ना चाहते हैं
Sunday and holidays, if any proposed to be
prefixed/suffixed to leave
 8. अवकाश का कारण
Grounds on which leave is applicable for
 9. पिछले अवकाश से लौटने की तारीख और उस
अवकाश की किस्म और अवधि
Date of return from last leave, and the nature and
period of that leave
 10. मेरा विचार आगामी अवकाश में ब्लाक
वर्षों के लिए अवकाश यात्रा रियायत लेने का है/नहीं
है।
I propose/do not propose to avail myself of leave
travel concession for the block years
 11. अवकाश के दौरान पता
Address during leave period
- तारीख
Date
- प्रार्थी के हस्ताक्षर
Signature of Applicant
12. नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी और/या सिफारिश
Remarks and/ or recommendation of the Controlling
Officer.
- तारीख
Date
- हस्ताक्षर/*Signature*
- पदनाम/*Designation*

अवकाश की अनुमत्यता के बारे में प्रमाण पत्र
CERTIFICATE REGARDING ADMISSIBILITY OF LEAVE

13. प्रमाणित किया जाता है कि से तक दिन के केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम के अधीन (अवकाश की किस्म) अनुमत्य है।

Certified that(Nature of leave) for (Period)

from to is admissible under Rule of the

Central Civil Services (Leave) Rules. 1972

तारीख

Date

हस्ताक्षर/Signature

पदनाम/Designation

- *14. अवकाश स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी के आदेश
Orders of the authority competent to grant leave

तारीख

Date

हस्ताक्षर/Signature

पदनाम/Designation

*यदि प्रार्थी को कोई प्रतिकर भत्ता मिलता है तो मंजूरी करने वाले अधिकारी को यह लिखना चाहिए कि अवकाश पूरा होने पर प्रार्थी को उसी पद पर या किसी ऐसे पद पर लौटने की आशा है या नहीं जहां इसी प्रकार का भत्ता मिलता हो।

*If the applicant is drawing any compensatory allowance, it should also be indicated in the orders on the expiry of leave, the Government servant is likely to return to the same post or to another post carrying similar allowance.